संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल, म0प्र0

क्रमांक एफ /विज्ञप्त/सेल-6/2018/636 भोपाल, दिनांक 27/4/2018

:: आदेश ::

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 04-01/2006/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 13.03.2013 की कंण्डिका 03 के अनुसार दिनांक 26.08.2008 के पश्चात् सेवानिवृत्त चिकित्सकों के मामले में आदेश पृथक से जारी किये जायेगे का उल्लेख है।

2/ उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में विभाग द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ 04-01/2006/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 11.05.2017 द्वारा न्यायालयीन अवमानना प्रकरण कमांक 1681/2015 डॉ एच के खरे एवं अन्य विरूद्व श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं याचिका क्रमांक 6573/2015 में दिये गये निर्णय दिनांक 18.06.2015 द्वारा डॉ. एच. के. खरे, डॉ. हरेन्द्रनाथ मिश्रा, डॉ. एस. के. मिश्रा एवं डॉ. एस. के. शर्मा द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों दिनांक 29.06.2015 के संबंध में समय सीमा में पालन न होने के कारण संबंधितों द्वारा माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में अवमानना याचिका क्रमांक 1681/2015 दायर की गई ।

3/ उपरोक्त प्रकरण में संबंधित चिकित्सकों (डॉ एच. के. खरे, डॉ. हरेन्द्रनाथ मिश्रा, डॉ. एस. के. मिश्रा एवं डॉ. एस. के. शर्मा) के अभ्यावेदनों को म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ04-1/2005-6/सत्रह/मेडि-1 भोपाल दिनांक 11.05.2017 सैद्वांतिक रूप से मान्य किया गया था ।

4/ संबंधित चिकित्सको द्वारा पुनः न्यायलयीन याचिका क्रमांक 1908/2018 दायर की गई हैं। प्रकरण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा पुनः विचार हुआ एवं विचारोपरांत यह स्थिति स्पष्ट की गई कि चूकि उपरित संदर्भित शासन के आदेश क्रमांक एफ 04-01/2006/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 13.03.2013 वित्त विभाग की सहमति क्रमांक आर/260/270/13/नियम-चार दिनांक 07.02.2013 से जारी किया गया है । अतः प्रश्नाधीन याचिका में संबंधित याचिका कर्ताओं को चिकित्सा सेवाभत्ता दिनांक 26.08.2008 से उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक तक स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

<u>प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य) द्वारा अनुमोदित</u>

(धनराजू एस) 6/4/18
संचालक, (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ क्रमांक एफ /विज्ञप्त/सेल- /2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ प्रेषित।

1. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

क्रमांक 1-जी (/ 636" 2 "   दिनांक 27/4/18

4. संचालक, लीगल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म0प्र0 ।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर/सागर, संभाग जबलपुर/सागर म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर/छतरपुर, म0प्र0 ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला जबलपुर/छतरपुर म0प्र0।
8. कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर/छतरपुर, म0प्र0 ।
9. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ ।
10. प्रभारी एमआईएस, विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें ।
11. आदेश नस्ती ।

26/4/2018

संचालक, (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश